

(1)

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: 1242 / सं0क0 / पू0म0क0 / 2020-21 लखनऊ

दिनांक 3 मार्च, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रदेश में संचालित केबिल टी0वी0 नेटवर्कों एवं अन्य मदों में, जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व की अवधि हेतु, बकाया मनोरंजन कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली तथा अन्य लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय कमिशनर महोदया के परिपत्र संख्या-2999 दिनांक 07.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01.07.2017 से GST लागू होने के कारण, जून, 2017 तक की अवधि हेतु, उ0 प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत, मनोरंजन कर का निर्धारण, ब्याज का आगणन एवं शास्ति अधिरापण करते हुए, बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की वसूली के अतिरिक्त, मा0 न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में निहित धनराशि की वसूली हेतु प्रभावी पैरवी किया जाना तथा महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित आपत्तियों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

उक्त से अवगत कराते हुए आपको निर्देशित किया गया था कि अपने जोन से सम्बन्धित जनपदों के पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु नामित अधिकारियों / निरीक्षकों की निम्न बिन्दुओं पर मासिक समीक्षा बैठक कर, समस्त लम्बित प्रकरणों में यथा शीघ्र कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें –

1. जनपद में केबिल टी0वी0 नेटवर्क की जिन पत्रावलियों में माह-जून, 2017 तक की अवधि हेतु उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, उन पत्रावलियों में कर निर्धारण, अद्यतन ब्याज की गणना एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय तथा इन पत्रावलियों में कर निर्धारण की कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :–

(प्रारूप-1)

जनपद का नाम—

माह—

क्रमांक	केबिल टी0वी0 केन्द्र का नाम	वर्णित धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो तत्सम्बन्धी टिप्पणी के साथ, पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट को अवलोकित करायी गयी है तो उसका	यदि धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है तो वर्तमान स्थिति (नोटिस जारी है / आदेश जारी है / कर निर्धारण की	यदि नोटिस जारी है, तो उसका दिनांक	यदि आदेश जारी है, तो उसका दिनांक	यदि अभ्युक्ति

		अथवा नहीं? (हाँ / नहीं)	दिनांक और यदि नहीं तो उसका कारण	कार्यवाही प्रस्तावित है)			
1	2	3	4	5	6	7	8

2. केबिल टी०वी० नेटवर्क, सिनेमाघरों एवं अन्य आमोदों पर बकाया मनोरंजन कर, व्याज एवं शास्ति की वसूली योग्य धनराशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करायी जाय तथा उपर्युक्त प्रारूप-1 में वर्णित केबिल टी०वी० नेटवर्कों सहित सिनेमाघरों एवं अन्य आमोदों पर बकाया धनराशियों की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :—

(प्रारूप-2)

जनपद का नाम—

माह—

क्रमांक	मद का विवरण	बकाया धनराशि का विवरण			जमा धनराशि का विवरण		माह के अन्त में अवशेष बकाया (5-7)	अभ्युक्ति (आर०सी० जारी है अथवा नहीं)
		गत माह तक सूचित	माह में सृजित	कुल बकाया (3+4)	माह में	माह तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मल्टीप्लेक्स / छविगृह	मनोरंजन कर						
		व्याज						
		शास्ति						
		योग						
2	केबिल टी०वी० नेटवर्क	मनोरंजन कर						
		व्याज						
		शास्ति						
		योग						
3	अन्य आमोद	मनोरंजन कर						
		व्याज						
		शास्ति						
		योग						
4	कुल योग							

3. महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा की आडिट आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कराया जाय तथा इन पत्रावलियों में कर निर्धारण की कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :—

(प्रारूप-3)

जनपद का नाम—

माह—

क्रमांक	प्रत्यावेदन संख्या / दिनांक	कार्यालय का नाम (महालेखाकार / आन्तरिक सम्परीक्षा)	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	निहित धनराशि	माह तक वसूल की गयी धनराशि	बकाया धनराशि	स्थगित धनराशि	वसूली योग्य बकाया धनराशि	अनुपालन आख्या प्रेषित करने का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

4. मा० न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी करायी जाय तथा इन पत्रावलियों में कर निर्धारण की कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :—

(प्रारूप-4)

जनपद का नाम—

माह—

क्रमांक	याचिका/ अपील संख्या एवं पक्षकारों का नाम	विषय-वस्तु (संक्षेप में)	न्यायालय का नाम	प्रतिशपथ पत्र दाखिल होने का दिनांक	निस्तारण हेतु किया गया अद्यावधिक प्रयास	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का अन्तिम माह चल रहा है, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में मासिक समीक्षा बैठक से सम्बन्धित वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। अतएव आपसे अपेक्षा है कि माह फरवरी, 2022 तक की तत्काल समीक्षा कर सूचना डाक/ई-मेल(etcomup@nic.in) के माध्यम से 15.03.2022 तक प्रेषित करने का कष्ट करें तथा आगामी माहों की भी समीक्षा कर उक्त प्रारूपों पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ०प्र०।

संख्या: १२५२ / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र को आवश्यक कायवाही हेतु विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर (म०क०), जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्पूर्ण प्रदेश से सम्बन्धित उपरोक्त सूचना, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु नामित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. कमिश्नर महोदया के आदेश दिनांक 23.11.2021 के माध्यम से उक्त कार्य हेतु नामित निरीक्षकों को अनुपालनार्थ।

12/03/2022

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ०प्र०।

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: २९९९/स०क०/२०२०-२१

लखनऊ दिनांक ०८ सितम्बर, २०२०

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रदेश में संचालित केबिल टी०वी० नेटवर्क एवं अन्य मदों में, GST लागू होने के पूर्व की अवधि हेतु, बकाया मनोरंजन कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली तथा अन्य लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि दिनांक 01.07.2017 से GST लागू होने के कारण, जून, 2017 तक की अवधि हेतु, उ० प्र० आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत, मनोरंजन कर का निर्धारण, ब्याज का आगणन एवं शास्ति अधिरोपण करते हुए, बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की वसूली के अतिरिक्त, मा० न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में निहित धनराशि की वसूली हेतु प्रभावी पैरवी किया जाना तथा महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित आपत्तियों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त उद्देश्य से जारी, परिपत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 एवं 18 जून, 2019 (छायाप्रतियां संलग्न) द्वारा प्रदेश के समरत जिला मजिस्ट्रेट से जून-2017 तक की अवधि हेतु, निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा/कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी थी—

1. जून, 2017 तक जनपद में कितने केबिल नेटवर्क संचालित थे ?
2. केबिल टी०वी० नेटवर्क के सचालन की तिथि से माह-जून, 2017 तक की अवधि हेतु, कितनी पत्रावलियों में, उ०प्र० आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-12 के अन्तर्गत, कर-निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही की गयी है?
3. यदि किसी नेटवर्क में कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, तो भी इस आशय के नोट के साथ, पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत होनी चाहिए कि सन्दर्भित पत्रावली में कर निर्धारण किये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ही कर-निर्धारण हेतु Assessing Authority है।
4. सम्बन्धित नेटवर्क के प्रारम्भ से अद्यावधिक अवधि तक, केबिल संचालक द्वारा विलम्ब से जमा मनोरंजन कर पर, उ०प्र० केबिल टी०वी० नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम-14 के अनुसार 2 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज के आगणन और उसकी वसूली की स्थिति क्या है?
5. केबिल टी०वी० नेटवर्क, सिनेमाघरों एवं अन्य आमोदों पर बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की वसूली योग्य धनराशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराना।
6. महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा की आडिट आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कराया जाय।
7. मा० न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी करायी जाय।

उल्लेखनीय है कि परिपत्र दिनांक 18 जून, 2019 के माध्यम से केबिल टी०वी० नेटवर्क में जिन पत्रावलियों में माह जून, 2017 तक की अवधि का, वर्णित अधिनियम, 1979 की

धारा-12 के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है, उन पत्रावलियों में कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपण का कार्य माह सितम्बर, 2019 तक पूर्ण कराने की अपेक्षा की गयी थी, पुनः परिपत्र दिनांक 27.02.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा केबिल टी0वी0 नेटवर्क की जिन पत्रावलियों में माह जून, 2017 तक की अवधि के बकाया के सम्बन्ध में, वर्णित धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, उन पत्रावलियों में कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही माह जून, 2020 तक पूर्ण कराने, बिन्दु संख्या-3 से 7 में उल्लिखित बिन्दुओं की समीक्षा एवं कार्यवाही करने बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की वसूली योग्य धनराशि की शत-प्रतिशत वसूली माह जून, 2020 तक पूर्ण करने की अपेक्षा प्रदेश के समर्त जिला मजिस्ट्रेट, से की गयी थी।

अवगत कराना है कि माह जुलाई, 2020, तक अधिकांश जनपदों में केबिल टी0वी0 नेटवर्क की पत्रावलियों में माह-जून, 2017 तक की अवधि हेतु धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है तथा केबिल टी0वी0 नेटवर्क, सिनेमाघरों एवं अन्य आमोदों पर बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की वसूली योग्य धनराशि की सम्पूर्ण वसूली भी नहीं हो सकी है। केबिल टी0वी0 नेटवर्क पर मनोरंजन कर व ब्याज की एक बड़ी धनराशि बकाया होना सम्भावित है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 18.05.2018 के माध्यम से मनोरंजन कर विभाग के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किये जाने किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन से सम्बन्धित जनपदों के पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से नामित अधिकारियों / निरीक्षकों की निम्न बिन्दुओं पर मासिक समीक्षा बैठक कर, समर्त लम्बित प्रकरणों में यथा शीघ्र कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें –

- जनपद में केबिल टी0वी0 नेटवर्क की जिन पत्रावलियों में माह-जून, 2017 तक की अवधि हेतु उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, उन पत्रावलियों में कर निर्धारण, अद्यतन ब्याज की गणना एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय तथा इन पत्रावलियों में कर निर्धारण की कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :–

(प्रारूप-1)

जनपद का नाम—

माह—

क्रमांक	केबिल टी0वी0 केन्द्र का नाम	वर्णित धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो तत्सम्बन्धी टिप्पणी के साथ, पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट को अवलोकित करायी गयी है तो उसका	यदि धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है तो वर्तमान स्थिति (नोटिस जारी है / आदेश जारी है / कर निर्धारण की	यदि नोटि स जारी है, तो उसका दिनांक	यदि आदेश जारी है, तो उसका दिनांक	अभ्युक्ति

		अथवा नहीं? (हां / नहीं)	दिनांक और यदि नहीं तो उसका कारण	कार्यवाही प्रस्तावित है)			
1	2	3	4	5	6	7	8

2. केबिल टी०वी० नेटवर्क, सिनेमाघरों एवं अन्य आमोदों पर बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की वसूली योग्य धनराशि की मार्च, 2021 तक शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करायी जाय तथा उपर्युक्त प्रारूप-१ में वर्णित केबिल टी०वी० नेटवर्कों सहित सिनेमाघरों एवं अन्य आमोदों पर बकाया धनराशियों की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :-

(प्रारूप-2)

जनपद का नाम—

माह-

क्रमांक	मद का विवरण	बकाया धनराशि का विवरण			जमा धनराशि का विवरण		माह के अन्त में अवशेष बकाया (5-7)	अभ्युक्ति (आरोसी) जारी है अथवा नहीं)
		गत माह तक सूचित	माह में सृजित	कुल बकाया (3+4)	माह में	माह तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मल्टीप्लेक्स / छविगृह	मनोरंजन कर						
		ब्याज						
		शास्ति						
		योग						
2	केबिल टी०वी० नेटवर्क	मनोरंजन कर						
		ब्याज						
		शास्ति						
		योग						
3	अन्य आमोद	मनोरंजन कर						
		ब्याज						
		शास्ति						
		योग						
4	कुल योग							

3. महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा की आडिट आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कराया जाय तथा इन पत्रावलियों में कर निर्धारण की कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :—

(प्रारूप-3)

जनपद का नाम—

माह-

4. मा० न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी करायी जाय तथा इन पत्रावलियों में कर निर्धारण की कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा निम्न प्रारूप में की जाये :—
- (प्रारूप-4)

जनपद का नाम—

माह—

क्रमांक	याचिका/ अपील संख्या एवं पक्षकारों का नाम	विषय-वस्तु (संक्षेप में)	न्यायालय का नाम	प्रतिशपथ पत्र दाखिल होने का दिनांक	निस्तारण हेतु किया गया अद्यावधिक प्रयास	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

~~✓~~
(अमृता सोनी)
५१८ कमिश्नर।

संख्या: २११९ / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:—

- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र को आवश्यक कायवाही हेतु विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- उपायुक्त, वाणिज्य कर (म०क०), जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्पूर्ण प्रदेश से सम्बन्धित उपरोक्त सूचना, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- समस्त पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु नामित अधिकारियों/निरीक्षकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

~~✓~~
(अमृता सोनी)
५१८ कमिश्नर।